न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
<u>पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.</u>

पत्रावली संख्या : 28/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एस.के. फाईनेंस लि. क्षेत्रीय कार्यालय जी–1 एवं 2, न्यू मार्केट, खासा कोठी सर्किल, जयपुर, जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री सुशील गोयल

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

1. **बलदेवा राम पुत्र भागूराम,** निवासी वार्ड नम्बर 1, चोखा का बास, संजू कॉलेज के पास, लोसल छोटी, तहसील दांतारामगढ़, सीकर–332025, राजस्थान
2. **गोपाली देवी पत्नि बलदेवा राम,** निवासी वार्ड नम्बर 1, चोखा का बास, संजू कॉलेज के पास, लोसल छोटी, तहसील दांतारामगढ़, सीकर–332025, राजस्थान
3. **भंवर राम पुत्र रूपा राम,** निवासी वार्ड नम्बर 1, चोखा का बास, मंदिर के पास, लोसल, तहसील दांतारामगढ़, सीकर–332025, राजस्थान।

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः 17.10.2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री सुभाष चन्द्र कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **बलदेवा राम पुत्र भागूराम, गोपाली देवी पत्नि बलदेवा राम,** एवं **भंवर राम पुत्र रूपा राम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **बलदेवा राम पुत्र भागूराम** के स्वामित्व की बंधक सम्पतियां निम्नानुसार हैः–

   (1.) **शॉप नम्बर जी–3, वार्ड नम्बर 10, ग्राम लोसल, तहसील दांतारामगढ़ सीकर राज.,** जिसका **कुल क्षेत्रफल 13.06 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में पैसेज, पश्चिम दिशा में शॉप नम्बर जी–5, उत्तर दिशा में शॉप नम्बर जी–4 एवं दक्षिण दिशा में सार्वजनिक सड़क है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(2.) **शॉप नम्बर जी–5 एवं जी–6, वार्ड नम्बर 10, ग्राम लोसल, तहसील दांतारामगढ़ सीकर राज.,** जिसका **कुल क्षेत्रफल 23.69 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में शॉप नम्बर जी–3, जी–4, पश्चिम दिशा में शॉप नम्बर जी–7, उत्तर दिशा में अन्य भूमि एवं दक्षिण दिशा में सार्वजनिक सड़क है।

उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर **कुल 23,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये तेईस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **20.12.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Eeconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **20.12.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Eeconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **बलदेवा राम पुत्र भागूराम, गोपाली देवी पत्नि बलदेवा राम,** एवं **भंवर राम पुत्र रूपा राम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **बलदेवा राम पुत्र भागूराम** के स्वामित्व की बंधक सम्पतियां निम्नानुसार हैः–

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(1.) **शॉप नम्बर जी–3, वार्ड नम्बर 10, ग्राम लोसल, तहसील दांतारामगढ़ सीकर राज.,** जिसका **कुल क्षेत्रफल 13.06 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में पैसेज, पश्चिम दिशा में शॉप नम्बर जी–5, उत्तर दिशा में शॉप नम्बर जी–4 एवं दक्षिण दिशा में सार्वजनिक सड़क है।

(2.) **शॉप नम्बर जी–5 एवं जी–6, वार्ड नम्बर 10, ग्राम लोसल, तहसील दांतारामगढ़ सीकर राज.,** जिसका **कुल क्षेत्रफल 23.69 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में शॉप नम्बर जी–3, जी–4, पश्चिम दिशा में शॉप नम्बर जी–7, उत्तर दिशा में अन्य भूमि एवं दक्षिण दिशा में सार्वजनिक सड़क है।

उक्त बंधक सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 17.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर